

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 16—मई 22, 2015 (वैशाख 26, 1937)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 16—MAY 22, 2015 (VAISAKHA 26, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई—400001, दिनांक 1 अप्रैल 2015

संदर्भ : बैंकिंग.सं.आईबीडी. 14566 / 23.03.029 / 2014—15— भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित को हटा दिया जाये :—

“एचएसबीसी बैंक ओमान एस.ए.ओ.जी.”

एन. एस. विश्वनाथन
कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, 5 मार्च 2015

एएण्डएस/एसकेएस/4280/2015—भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 41, उपधारा(1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से भारतीय स्टेट बैंक ने निम्नलिखित अनुषंगी बैंकों के लिए उनके

नाम के आगे लिखी लेखा परीक्षा फ़र्मों को वर्ष 2014-15 के लिए, लेखा परीक्षक नियुक्त किया है :

बैंकों का नाम	लेखा परीक्षक का नाम
स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर, जयपुर	1. मैसर्स एम के अग्रवाल एण्ड कं., 30 निशांत कुंज, पीतम पुरा, मेट्रो पिल्लर नं. 332 के सामने, नई दिल्ली - 110 034 फोन नं. 011-27354141 2. मैसर्स चतुर्वेदी एण्ड कं., 60, बेनटिक स्ट्रीट, कोलकाता- 700 069 (प. बं.) फोन नं. 033-22292229 3. मैसर्स ओबेरॉय सूद एण्ड कपूर, 606, विशाल भवन, 95, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110 019 फोन नं. 011-26416942 4. मैसर्स पी एस डी एण्ड असोसिएट्स, 324, गणपति प्लाज़ा, एम. आई. रोड, जयपुर- 302 001, राजस्थान फोन नं. 0141-2389180
स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद, हैदराबाद	1. मैसर्स आंजनेयूलु एण्ड कं., 30, भाग्यलक्ष्मी नगर, गांधीनगर, हैदराबाद -500 080, आंध्र प्रदेश फोन नं. 040-27531109 2. मैसर्स खन्ना एण्ड आनंदनम, 706 आकाशदीप, 26-ए, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110 001 फोन नं. 011-23315119 3. मैसर्स शर्मा गोयल एण्ड कं., ए-47, लोवर ग्राउंड फ्लोर, हौजखास, नई दिल्ली - 110 016 फोन नं. 011-41655400 4. मैसर्स एस आर आई असोसिएट्स, सेंट्रल प्लाज़ा, 41 बी. बी., गांगुली स्ट्रीट, 3-रा फ्लोर, कोलकाता- 700 012 पश्चिम बंगाल फोन नं. 033-22111175
स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर, बेंगलूर	1. मैसर्स पी जी जोशी एण्ड कं., धनवटे चैंबर्स मालवीय रोड सिताबुल्डी, नागपुर- 440 012, महाराष्ट्र फोन नं. 0712-2524309

	2. मैसर्स पी बी विजयराघवन एण्ड कं., न्यू नं. 14 ओल्ड नं. 27, केथेड्रल गार्डन रोड नुन्गमबक्कम, चेन्नई - 600 034, तमिलनाडु फोन नं. 044-28263918 3. मैसर्स जे वी रामानुजम एण्ड कं., न्यू नं. 223 ओल्ड नं.113, पहली मंजिल आर. के. मुत्त रोड, आर. ए. पुरम , चेन्नई - 600 028, तमिलनाडु, फोन नं. 044-24610307 4. मैसर्स बब्बर जिंदल एण्ड कं., 3072, प्रताप स्ट्रीट 19-20, गोला मार्केट दरिया गंज, नई दिल्ली - 110 002 फोन नं. 011-23268128
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पटियाला	1. मैसर्स पी के के जी बालासुब्रामणियम एण्ड असोसिएट्स, डोर नं.10/2 8-वी स्ट्रीट गांधी नगर, वेल्लुर - 606 602, तमिलनाडु फोन नं. 041-75224557 2. मैसर्स रामानाथम एंड राव, पोस्ट बॉक्स नं. 2102, फ्लैट नं. 302 कलामेशन, सरोजिनी देवी रोड, सिकन्दराबाद-500 003, आंध्र प्रदेश फोन नं. 040-27814147 3. मैसर्स एस जैन एण्ड कं., रेड क्रॉस भवन द माल, लुधियाना- 141 001, पंजाब फोन नं. 0161-2448228 4. मैसर्स राजवंशी एण्ड असोसिएट्स, एच-15, चितरंजन मार्ग, सी- स्कीम जयपुर- 302 001, राजस्थान फोन नं. 0141-2363340
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, तिरुवनंतपुरम	1. मैसर्स बाबू ए कल्लीवयालील एण्ड कं., 2-रा फ्लोर, मंचू कॉम्प्लेक्स पी. टी. ऊषा रोड कोच्चि- 682 011, केरल फोन नं. 914842363119 2. मैसर्स जी वेणुगोपाल कामथ एण्ड कं., नं. 273, 3 री मंजिल, डीडी वस्त्र महल पो.बॉक्स नं. 1110, मार्केट रोड कोच्चि कोच्चि-682 011, केरल फोन नं. 0484-2355482

	3. मैसर्स गोपालअय्यर एण्ड सुब्रामणियन, न्यू नं. 4 ओल्ड नं. 28, गुरु गोविंद सिंह रोड, उज्ज्वर संधई, आर. एस. पुरम, कोयंबटूर -641 002, तमिलनाडु, फोन नं. 0422-24500952 4. मैसर्स कुमार विजय गुप्ता एण्ड कं., 408, नई दिल्ली हाऊस, 27, बाराखम्बा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001, फोन नं. 011-23314525
--	---

2. उक्त लेखा परीक्षक वर्ष 2014-15 के लिए नियुक्त किये गये हैं ।

वी. जी. कन्नन
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(सहयोगी एवं अनुषंगी)
कृते स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

दिल्ली-110052, दिनांक 30 अप्रैल 2015

सा0 आ0 संख्या: एसीसी/दि.वज./वीसी/1(4)/2009/152 — केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रम सं.	कोड संख्या	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि
क्षेत्र : दिल्ली (उत्तरी)			
1-	डी एल./सीपीएम/38870	मेसर्स वंकम मेडिसर्ग प्राइवेट लिमिटेड	01.06.2008
2-	डी एल./सीपीएम/36677	मेसर्स वरुण सेल्स कार्पोरेशन	01.04.2007
3-	डी एल./सीपीएम/43008	मेसर्स रामजस को-ओपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी	01.07.2011
4-	डी एल./सीपीएम/43355	मेसर्स डेलीगेशन ऑफ दी यूरोपियन यूनियन टु इंडिया	07.02.2012
5-	डी एल./सीपीएम/45115	मेसर्स एसीएफ सपोर्ट सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	20.08.2013
6-	डी एल./सीपीएम/39038	मेसर्स ओ.एन.जी.सी - त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड	01.09.2008
7-	डी एल./सीपीएम/39220	मेसर्स माइंड एडुटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	01.09.2008
क्षेत्र : दिल्ली (दक्षिण)			
8.	डीएस/एनएचपी/937201	मेसर्स ब्रांड प्लानेट कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	01.08.2008
9.	डीएस/एसएचडी/33334	मेसर्स सनातन धर्म मिडल स्कूल	01.01.2005

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर अधिनियम को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से लागू करते हैं ।

के. एल. तनेजा
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (दि. व. उ.)

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2015

सं.भा.आ.प.-12 (2)/2015-मेडि.विविध/ 103410—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2015" कहा जाए।
- (ii) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. (i) "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में परिवार मेडिसिन विभाग में शैक्षणिक योग्यता में एम डी (परिवार मेडिसिन)/एम डी (जनरल मेडिसिन) के पश्चात् निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता को जोड़ा जाएगा, नामतः :—

* एम डी (बाल रोग विज्ञान)*/* एम डी/एम एस (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान)*/* एम एस (जनरल सर्जरी)*

*परिवार मेडिसिन विभाग में, सभी तीन संकाय किन्हीं पांच भिन्न-भिन्न शाखाओं में से अस्थायी व्यवस्था के रूप में होने चाहिए तथा ये एक ही शाखा से नहीं होने चाहिए। और जब भी पर्याप्त परिवार मेडिसिन विशेषज्ञ उपलब्ध हो जाएंगे, तब वे परिवार मेडिसिन विभाग के अन्य विशेषज्ञों का स्थान ले लेंगे।

रीना नय्यर

सचिव (प्रभारी)

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

पाद टिप्पणी:—प्रधान नियमावली नामतः "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" दिनांक 05 दिसंबर, 1998 को भारत के गजट के भाग—III, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 16.03.2005, 21.07.2009, 28.10.2009, 15.12.2009, 03.11.2010, 08.07.2011, 06.09.2012 और 01.10.2012 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 1st April 2015

DBR.IBD. No. 14566/23.03.029/2014-15—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following :—

“HSBC Bank Oman S.A.O.G.”

N. S. VISHWANATHAN
Executive Director

STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 5th March 2015

A&S/SKS/4280/2015 —In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 41 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and with the approval of Reserve Bank of India, the State Bank of India has appointed the firms of Auditors noted against each of the following Subsidiary Banks as Auditors of that Subsidiary Bank for the year 2014-15:

Name of Bank	Name of Audit firm
State Bank of Bikaner & Jaipur, Jaipur	1. M/S M K Aggarwal & Co, 30 Nishant Kunj Pitam Pura Opp. Metro Pillar No. 332 New Delhi- 110034, Phone No. - 011-27354141
	2. M/S Chaturvedi & Co, 60, Bentinck Street, Kolkata- 700069, WB Phone No.- 033- 22292229
	3. M/S Uberoi Sood & Kapoor, 606,Vishal Bhawan, 95, Nehru Place New Delhi- 110019, Phone No. - 011-26416942
	4. M/S P S D & Associates, 324, Ganpati Plaza, M. I. Road Jaipur- 302001, Rajasthan Phone No. - 0141-2389180
State Bank of Hyderabad, Hyderabad	1. M/S Anjaneyulu & Co 30, Bhagyalakshmi Nagar Gandhinagar Hyderabad - 500080, Andhra Pradesh Phone No. - 04027531109
	2. M/S Khanna & Annadhanam, 706, Akashdeep 26-A, Barakhamaba Road New Delhi- 110001, Phone No. - 011-23315119

	3. M/S Sharma Goel & Co, A-47, Lower Ground Floor, Hauz Khas, New Delhi- 110016, Phone No. - 011-41655400
	4. M/S SRI Associates, Central Plaza, 41 B.B Ganguly Street 3rd Floor Kolkata – 700012 West Bengal Phone No.033-22111175
State Bank of Mysore, Bangalore	1. M/S P G Joshi & Co Dhanwate Chambers Malviya Road Sitabuldi Nagpur - 440012, Maharashtra Phone No. - 07122524309
	2. M/S P B Vijayaraghavan & Co New No 14 Old No 27 Cathedral Garden Road Nungambakkam Chennai - 600034, Tamil Nadu Phone No. - 04428263918
	3. M/S J V Ramanujam & Co New No.233, Old No.113, First Floor, R.K.Mutt Road, R.A.Puram Chennai - 600028, Tamil Nadu Phone No. - 04424610307
	4. M/S Bubber Jindal & Co, 3072, Pratap Street 19-20, Gola Market Daryaganj New Delhi – 110002 Phone No.- 011-23268128
State Bank of Patiala, Patiala	1. M/S P K K G Balasubramaniam & Associates Door No.10/2 Eighth Street Gandhi Nagar Vellore - 606602, Tamil Nadu Phone No. - 04175224557
	2. M/S Ramanatham & Rao Post Box No.2102, Flat No.302 Kalamansion Sarojini Devi Road Secunderabad - 500003, Andhra Pradesh Phone No. - 04027814147
	3. M/S S Jain & Co Red Cross Bhawan The Mall Ludhiana - 141001, Punjab Phone No. - 01612448228
	4. M/S Rajvanshi & Associates H-15, Chitrangan Marg, C-Scheme Jaipur - 302001, Rajasthan Phone No. - 01412363340

State Bank of Travancore, Thiruvananthapuram	1. M/S Babu A Kallivayalil & Co II Floor Manchu Complex P.T. Usha Road Kochi - 682011, Kerala Phone No. - 914842363119
	2. M/S G Venugopal Kamath & Co No. 273, 3rd Floor, DD Vastra Mahal P.B.No. 1110, Market Road Kochi Kochi - 682011, Kerala Phone No. - 04842355482
	3. M/S Gopalaier And Subramanian New No.4, Old No.28, Guru Govind Singh Road, Near Uzhavar Sandhai,R.S.Puram, Coimbatore - 641002, Tamil Nadu Phone No. - 042224500952
	4. M/S Kumar Vijay Gupta & Co. 408, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi- 110001 Phone No.011-23314525

2. The auditors have been appointed for the year 2014-15.

V. G. KANNAN
Managing Dir. & G E (A&S)
For State Bank of India

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

Delhi-110052, the 30th April 2015

S.O. No.: ACC/DL&UK/VC/1(4)/2009/152 - whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the respective establishments namely: -

Sl. No.	Code No.	Name of the establishments	Date of coverage
REGION: DELHI (NORTH)			
1	DL/CPM/38870	M/s Vankam Medisurg Pvt. Ltd	01.06.2008
2	DL/CPM/36677	M/s Varun Sales Corporation	01.04.2007
3	DL/CPM/43008	M/s Ramjas Co-operative Thrift & Credit Society Ltd.	01.07.2011
4	DL/CPM/43355	M/s Delegation of The European Union to India	07.02.2012
5	DL/CPM/45115	M/s ACF Support Services India Pvt. Ltd.	20.08.2013
6	DL/CPM/39038	M/s ONGC- Tripura Power Company Ltd.	01.09.2008
7	DL/CPM/39220	M/s Mind Edutainment Pvt. Ltd.	01.09.2008
REGION : DELHI (SOUTH)			
8.	DS/NHP/937201	M/s Brand Planet Consultants India Pvt. Ltd.	01.08.2008
9.	DS/SHD/33334	M/s Sanatan Dharam Middle School	01.01.2005

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments with effect from the date mentioned against their names.

K.L. TANEJA
Additional Central Provident Fund Commissioner
(Delhi & Uttarakhand)

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

New Delhi, the 20th April 2015

No. MCI-12(2)/2015-Med.Misc./103410—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998”, namely:-

1. (i) These Regulations may be called the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (amendment) Regulations, 2015”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. (i) In the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institution Regulations, 1998”, in Academic Qualifications in the department of Family Medicine, the following academic qualifications shall be added after M.D. (Family Medicine)/M.D. (General Medicine) namely:-

MD (Pediatrics)/*MD/MS (Obstetrics and Gynecology)*/*MS (General Surgery)*

*In the Department of Family Medicine, all three faculty should be from any of the five different disciplines as an interim arrangement and not from the same discipline. As and when enough Family Medicine specialists become available, they will phase out other specialists in the Department of Family Medicine.

REENA NAYYAR

Secretary I/C

Medical Council of India

Footnote: The Principal Regulations namely, “Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulation, 1998” were published in Part –III, Section (4) of the Gazette of India on the 5th December, 1998, and amended vide MCI notifications dated 16/03/2005, 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03/11/2010, 08/07/2011 & 06/09/2012 & 01/10/2012.

CORRIGENDUM

Notification published in the Gazette of India, Part-III Sec. IV., Issue No. 03 dated 17-23 January, 2015, the year mentioned in English may be read as 2015 instead of 2014.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in